

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0-16/2009

2853

खाद्य, पटना/दिनांक-

27/4/2011

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय:-

जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार राज्य में पंचायत चुनाव का कार्य प्रारम्भ है एवं पंचायत चुनाव आचार संहिता पुरे राज्य में लागू है । जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पैक्स/स्वयं सहायकता समूहों एवं अनुकम्पा के आधार पर नई अनुज्ञप्ति के लिए जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसकी आवश्यक जाँच पूरी करा ली जाय, परन्तु अनुज्ञप्ति पंचायत चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात ही निर्गत करने हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी को निदेश दिया जाय ।

विश्वासभाजन,



सरकार के संयुक्त सचिव ।